न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 63/2024 **G.C.M.S. No. 2024/338** **दर्ज दिनांक : 29.08.2024**

अपीलार्थिगण:

1. स्व. मंगलसिंह पुत्र तखतसिंह के कायम मुकाम वारिसानः–
   1. हनवंतसिंह पुत्र मंगलसिंहजी
   2. जगदीशसिंह पुत्र मंगलसिंहजी
   3. ईश्वरसिंह पुत्र मंगलसिंहजी
   4. राजेन्द्रसिंह पुत्र मंगलसिंहजी, तमाम जातिगण राजपूत, निवासीगण ग्राम बलुपुरा, तहसील सुमेरपुर, जिला पाली।
   5. स्वर्गीयज जीवनसिंह पुत्र मंगलसिंहजी के कायम मुकाम वारिसानः–
      5/1 श्रीमती सायरकंवर पत्नि जीवनसिंहजी
      5/2 श्रीमती सरोजकंवर पुत्री जीवनसिंहजी, जातिगण राजपूत, निवासीगण ग्राम बलुपुरा, तहसील सुमेरपुर, जिला पाली।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. सवाराम पुत्र तुलछारामजी
2. मगाराम पुत्र मोतीरामजी, जातिगण राईका देवासी, निवासीगण ग्राम बलुपुरा, तहसील सुमेरपुर, जिला पाली।
3. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार सुमेरपुर, तहसील सुमेरपुर, जिला पाली।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर सुमेरपुर द्वारा राजस्व वाद संख्या 20/2020 बअनवान स्व. मंगलसिंह के कायम मुकाम हनवंतसिंह वगैरह बनाम सवाराम वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 13.08.2024

उपस्थित–

1. श्री लक्ष्मण के. चौधरी, श्री चेतन आगरी विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स।
2. श्री घनश्यामसिंह राजपुरोहित, श्री धीरेन्द्रसिंह राजपुरोहित विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट्स।

निर्णय

दिनांकः 28.02.2025

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर सुमेरपुर द्वारा राजस्व वाद संख्या 20/2020 बअनवान स्व. मंगलसिंह के कायम मुकाम हनवंतसिंह वगैरह बनाम सवाराम वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 13.08.2024 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह है कि मौजा ग्राम–बलुपुरा, तहसील–सुमेरपुर, जिला पाली में स्थित वर्तमान खसरा नम्बर 36 रकबा 3.0500 हैक्टेयर, किस्म जवाई नहरी प्रथम एवम् खसरा नम्बर 38 रकबा 4.3100 हैक्टेयर, किस्म जवाई नहरी प्रथम कुल खसरा दो रकबा 7.3600 हैक्टेयर

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

की कृषि भूमि अपीलार्थीगण के दादा तखतसिंह पुत्र रूपसिंहजी की खातेदारी की थी एवम् मौके पर वर्तमान में उक्त भूमि पर अपीलार्थीगण का कब्जा–काश्त है। लेकिन राजस्व रेकर्ड में खातेदारी रेस्पोंडेण्ट संख्या 01 व 02 के नाम दर्ज है। चूंकि उक्त भूमि सीलिंग से प्रभावित होने के चलते अपीलार्थीगण के दादा तखतसिंहजी द्वारा उक्त भूमि रेस्पोंडेण्ट संख्या 01 के दादा को कागजी बेचाण कर दी गई थीं। उक्त बेचाण के आधार पर खातेदारी प्रतिवादी संख्या 01 के पिता तुलछाजी के नाम दर्ज हुई थीं। तत्पश्चात् पुराने सीलिंग एक्ट में कार्यवाही ड्रोप हुई, लेकिन राज्य सरकार द्वारा पुनः नये अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुये पुनः सीलिंग प्रकरण दर्ज करके अतिरिक्त कलेक्टर सीलिंग, पाली द्वारा दिनांक 11.03.2005 को 57.20 स्टेण्डर्ड रेकर्ड भूमि अधिक मानकर अधिग्रहण करने के आदेश दिये थें, जिसके तहत उक्त भूमि पुनः सिवाय चक सरकारी खाते में दर्ज की गई थी। जिसके रहते उक्त भूमि पर अपीलार्थीगण के पिता मंगलसिंह का कब्जा होने से उनके नाम धारा 91 एल.आर. एक्ट के तहत नोटिस जारी किये गये थे। चूंकि उक्त भूमि पर कब्जा लगातार अपीलार्थीगण के दादा व अपीलार्थीगण के पिता का ही चला आ रहा था। रेस्पोंडेण्ट संख्या 01 व 02 एवम् उनके पिता का कभी भी मौके पर कब्जा काश्त नहीं रहा। अतिरिक्त कलेक्टर सीलिंग, पाली के आदेश दिनांक 11.03.2005 के निर्णय के विरूद्ध अपीलार्थीगण द्वारा माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर में अपील पेश की गई। उक्त अपील में अपीलार्थीगण के पिता के पक्ष में स्थगन आदेश दिनांक 20.05.2005 को जारी किया गया एवम् 100/– रूपये प्रति बीघा की दर से प्रतिभूति राशि जमा करवाने पर कब्जा काश्त कायम रखने का आदेश जारी किया गया एवम् दिनांक 03.02.2006 के आदेश द्वारा माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर सीलिंग, पाली के आदेश दिनांक 11.03.2005 एवम् राज्य सरकार के सीलिंग प्रकरण पुनः खोलने के आदेश दिनांक 24.06.1983 को निरस्त करते हुये सीलिंग कार्यवाही ड्रोप की गई। इस दरम्यान रेस्पोंडेण्ट संख्या 01 के पिता द्वारा उक्त भूमि पुनः दिनांक 29.09.1974 को एक बेचाणनामा 4/– रूपये के स्टाम्प पर अपीलार्थीगण के दादा तखतसिंहजी के पक्ष में लिखकर अपने अंगूठा निशानी से तस्दीक किया एवम् प्रतिफल राशि रूपये 50,000/– अक्षरे पचास हजार रूपये प्राप्त करते हुये यह लिखकर दिया गया कि उक्त भूमि पर कब्जा काश्त आपका ही हैं एवम् दस्तावेज भी आपके पास ही हैं, बिगौड़ी भी आप ही जमा करवाते हैं और मेरा इस जमीन से कोई लेना–देना नहीं है, ऐसी स्थिति में अपीलार्थीगण का एवम् उनके पिता का लगातार कब्जा–काश्त होने से अधीनस्थ न्यायालय में धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत एक राजस्व वाद उद्घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया गया, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण के प्रार्थना–पत्र के आदेश 07 नियम 11 पर निर्णित करते हुये दिनांक 13.

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

08.2024 को अपीलार्थीगण/वादीगण का वाद खारिज कर दिया गया। जोकि विधिविरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण का वाद आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी. के प्रार्थना–पत्र का हवाला देते हुये वादीगण का वाद लिखित बेचाण इकरारनामा एवम् प्रतिकूल कब्जा को आधार मानकर सिविल न्यायालय द्वारा विचारित करने हेतु लिखते हुये निर्णित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी. के प्रावधानों का गलत विवेचन करते हुये आदेश किया गया है। क्योंकि वादीगण का उक्त वाद आदेश 07 नियम 11 (क) सी.पी.सी. के तहत नहीं आता है। इस कारण अपीलाधीन आदेश निरस्त करने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में वादीगण का वाद इकरारनामा के अनुसार एवम् इकरारनामा की पालना हेतु राजस्व न्यायालय को क्षेत्राधिकार नहीं होना एवम् इकरारनामा की पालना हेतु सिविल न्यायालय में संविदा की पालनार्थ वाद प्रस्तुत होने का लिखा गया। जबकि वादीगण के दादा के पक्ष में प्रतिवादी संख्या 01 के पिता द्वारा निष्पादित बेचाणनामा दिनांक 20.09.1974 पूर्ण बेचाणनामा की तारीफ में आता है अर्थात् यह इकरारनामा नहीं है। इस कारण संविदा की पालना के तहत वाद प्रस्तुत नहीं किया जा सकता था। क्योंकि उक्त बेचाण में संविदा पूर्ण रूप से निष्पादित कर दी गई है, उसकी पालना कोई बकाया नहीं रही है। ऐसी स्थिति में उक्त आधार जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गलत रूप से विवेचित करते हुये किया गया है, जो आधार नियमों के विपरीत होने से अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त करने योग्य है। उक्त बेचाणनामा दिनांक 20.09.1974 जो Unstamp अर्थात् स्टाम्प कमीपूर्ति की आपत्ति के तहत आपत्ति निस्तारित की जा सकती थीं और वो भी साक्ष्य के दौरान यदि प्रतिवादी द्वारा ऐसी कोई आपत्ति दर्ज करवाई जाती तो उक्त कमी स्टाम्प के तहत मामला महानिरीक्षक पंजीयन को प्रेषित हो सकता था। लेकिन उक्त स्टाम्प पर बेचाणनामा पूर्ण रूप से निष्पादित होने से यह इकरारनामा की तारीफ में नहीं आता है। इस कारण वादीगण का उक्त वाद अधीनस्थ राजस्व न्यायालय के समक्ष खातेदारी उद्घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का होने से मेरिट पर ही निर्णय किये जाने योग्य है। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केवल मात्र अपना विवेक नहीं लगाते हुये उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है, जो निरस्त करने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी प्राप्त करने का आधार नहीं मानते हुये माननीय राजस्व मण्डल की नजीरों का उल्लेख करते हुये विक्रय इकरारनामा के आधार पर राजस्व न्यायालय में किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त नहीं किया जा सकता है, इसका उल्लेख करते हुये एवम् प्रतिकूल कब्जा के आधार पर खातेदारी घोषणा नहीं किये जाने के सम्बन्ध में भी नजीरें उल्लेखित करते हुये प्रतिकूल धारणा के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं करने का विवेचन करते हुये वादीगण का वाद उक्त न्यायालय में

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं मानते हुये निर्णित किया गया है। प्रथमतः वादीगण के वाद में उल्लेखित बेचाणनामा विक्रय इकरारनामा नहीं होकर पूर्ण बेचाणनामा का दस्तावेज है, जो कमी मुद्रांक के तहत ही प्रकरण बन सकता था। इसलिये संविदा की पालना का सिद्धान्त वादीगण के वादपत्र में लागू नहीं होता है। द्वितीय प्रतिकूल धारणा के आधार पर प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी उद्घोषणा प्राप्त करने के सम्बन्ध में वादीगण की ऐसी कोई प्लीडिंग उल्लेखित नहीं है। जिसके आधार पर प्रतिकूल कब्जा के तहत खातेदारी प्राप्त करने हेतु अनुतोष चाहा हों। जबकि वादीगण के वाद में वादीगण के दादा एवम् पिता का पूर्वजों के समय से लगातार कब्जा–काश्त कायम चला आ रहा है। सीलिंग प्रभावित होने के चलते केवल मात्र बेचाण निष्पादित किया गया था। जबकि कब्जा लगातार वादीगण के दादा एवम् उनके बाद उनके पिता के पास कायम चला आ रहा है एवम् उक्त कब्जे के आधार पर ही खातेदारी उद्घोषणा का वाद दायर किया गया था, जो वाद राजस्व न्यायालय द्वारा साक्ष्य लेने के पश्चात् निर्णित करने योग्य था। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस सम्बन्ध में अपना कोई विवेचन नहीं दिया गया है। क्योंकि बेसिक लॉ के तहत प्रतिकूल धारणा के सिद्धान्त को समाप्त नहीं किया गया है। बल्कि अलग–अलग माननीय न्यायालयों द्वारा अपनी नजीरों में केवल मात्र उल्लेखित किया गया है। इसलिये उक्त नजीरों के आधार पर मुख्य लॉ को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। इस कारण अपीलार्थीगण का वादपत्र अधीनस्थ न्यायालय में विधिनुसार चलने योग्य था। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना विवेक लगाये अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है, जो निरस्त करने योग्य है। इसके अतिरिक्त माननीय राजस्व मण्डल द्वारा भी अपीलार्थीगण के पिता द्वारा प्रस्तुत अपील पत्र में जो सीलिंग अधिनियम के तहत भूमि अधिग्रहित करने का आदेश दिया गया था। उस आदेश को अपास्त किया गया एवम् वादीगण का कब्जा कायम मानते हुये प्रतिभूति राशि जमा करवाने पर कब्जा कायम रखने का आदेश दिया गया, जिसकी पालना में अपीलार्थीगण द्वारा रूपये 28,900/– अक्षरे अठाईस हजार नौ सौ रूपये राजकोष में दिनांक 12.01.2006 को जमा करवा दिये गये। इससे भी यह स्पष्ट है कि मौके पर कब्जा लगातार अपीलार्थीगण व उनके पिता व दादा का कायम चला आ रहा है। उक्त कब्जे के आधार पर वादीगण का वाद साक्ष्य में लेने के उपरान्त डिक्री करने योग्य था। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना साक्ष्य लिये केवल मात्र आदेश 07 नियम 11 के तहत वादीगण के वाद को खारिज करने का आदेश गलत रूप से विधि के प्रावधानों को अनदेखा करते हुये किया गया है। मौके पर वर्तमान में अपीलार्थीगण का कब्जा–काश्त है, जिसके सम्बन्ध में वर्तमान के फोटोग्राफ्स् अपील के साथ प्रस्तुत किये जा रहे हैं। केवल मात्र राजस्व रेकर्ड में खातेदारी प्रतिवादीगण रेस्पोंडेण्ट संख्या 01 व 02 के नाम अवश्य दर्ज की गई है। लेकिन कब्जा कभी भी

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

इनका या इनके पिता का नहीं रहा है जो प्रतिवादी संख्या 01 के पिता तुलछाजी द्वारा अपीलार्थीगण के दादा तखतसिंहजी के पक्ष में निष्पादित किये गये बेचाणनामा में स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण का कोई कब्जा नहीं होते हुये भी वादीगण के वाद को खारिज किया गया है। उक्त वादग्रस्त भूमि अतिरिक्त जिला कलेक्टर सीलिंग, पाली के आदेश दिनांक 11.03.2005 की पालना में सीलिंग अधिग्रहण होना मानते हुये राजस्व रेकर्ड में सिवाय चक दर्ज की गई थीं एवम् सिवाय चक दर्ज होने के चलते अपीलार्थीगण के पिता मंगलसिंह के नाम धारा 91 एल.आर. एक्ट के तहत नोटिस जारी किये गये थें। लेकिन पुनः राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा उक्त भूमि रेस्पोंडेण्ट संख्या 01 व 02 के नाम किस आदेश के तहत दर्ज की गई है। ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली पर प्रतिवादीगण/रेस्पोंडेण्टगण संख्या 01 व 02 की ओर से पेश नहीं किया गया है। इस कारण भी वादीगण/अपीलार्थीगण के वाद को खारिज करने का कोई आधार नहीं था। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि में प्रदत्त न्याय के मूलभूत सिद्धांतों की अवहेलना करते हुए उक्त निर्णय पारित किया गया है। जोकि सर्वथा निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय को अपास्त फरमावें।

अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता रेस्पोंडेंट ने निम्नलिखित न्यायिक नजीरें प्रस्तुत कीः—

1. 2011 (2) RRT 721
2. 2020 (1) RRT 446
3. 2020 (2) RRT 756
4. 2017 (2) RRT 1100
5. 2020 (2) RRT 1070
6. 2023 (1) RRT 235

हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रस्तुत न्यायिक नजीरों का ससम्मान अध्ययन—अवलोकन किया एवं प्रकरण के सम्यक न्याय—निर्णयन में यथोचित मार्गदर्शन प्राप्त किया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है—

1. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादग्रस्त आराजी में खातेदारी अधिकारों की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा हेतु वादपत्र अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

जवाबदावा प्राप्त कर विवाद्यक विरचित कर पत्रावली साक्ष्य वादी में नियत की गई। इसी दरम्यान प्रतिवादी रेस्पोंडेंट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी प्रस्तुत किया, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13.08.2024 को प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलांट वादीगण का वादपत्र परिपोषणीय नहीं होने से खारिज कर दिया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट्स द्वारा हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई हैं।

2. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण का जवाबदावा प्राप्त कर प्रकरण में कुल 3 विवाद्यक विरचित किए गए। जिसमें से विवाद्यक संख्या 2 प्रतिवादी के जिम्मे हैं। इसी के अनुरूप एवं समान आधार पर प्रतिवादी द्वारा आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के प्रकरणों में यह सुस्थापित सिद्धांत है कि ऐसे प्रार्थना पत्रों के निस्तारण में वादपत्र अवलोकनीय है। अर्थात प्रकरण में वादपत्र के अलावा अन्य कोई भी दस्तावेज एवं तथ्य का अवलोकन व अवलंबन अनुमत नहीं हैं।

4. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध वादपत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण अपीलांट द्वारा वादपत्र के पैरा संख्या 1 में वादग्रस्त आराजी पैतृक पुश्तैनी कब्जेकाश्त की होना अंकित किया है, वादपत्र में वादग्रस्त आराजी आरंभ में वादीगण के दादा तखतसिंह की खातेदारी होने तत्पश्चात भूमि सीलिंग कानून से प्रभावित होने, तखतसिंह द्वारा तुलछा पुत्र नेती रायका को बेचान करने तुलछा द्वारा वादीगण के दादा को दिनांक 20.09.1974 को पुनः बेचान कर कब्जा सुपुर्द कर देने, इसके साथ तुलछा द्वारा रूबरू मौतबिरान वादीगण के हक में लिखत तहरीर करने, सीलिंग प्रकरण समाप्त हो जाने, माननीय राजस्व मण्डल में रिवीजन में वादग्रस्त आराजी 100 रूपये प्रतिवर्ष प्रति बीघा तहसीलदार सुमेरपुर को जमा कराने पर विवादित आराजी मण्डल के अंतिम निर्णय तक वादीगण को कब्जा बनाए रखने का अधिकार दिनांक 20.05.2005 को देने, जिसकी पालना में वादीगण द्वारा 28500 रूपये जमा कराये जाने की रसीदें पेश करने, कब्जाकाश्त निरंतर वादीगण का होने, प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा कब्जाकाश्त नहीं होने के बावजूद भूमि बख्शीश करने, प्रतिवादी संख्या 1 व उसकी बहन धीरी द्वारा वादग्रस्त आराजी में खातेदारी अधिकारों की घोषणा का वाद दिनांक 23.05.2016 को विद्रो कर लेने, वादग्रस्त आराजी में वादीगण के खातेदारी अधिकार निहित होने आदि कथनों व तथ्यों का अंकन करते हुए पैरा संख्या 6 व 8 में वाद कारण अंकित किया है तथा खातेदारी अधिकारों की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

5. हमारे विनम्र मत में धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अंतर्गत वांछित अनुतोष प्रदान करने के लिए अधिनियम की धारा 207 व प्रथम अनुसूची के विधिक प्रावधानानुसार केवल राजस्व न्यायालय को ही श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार प्राप्त है तथा वादीगण द्वारा धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अंतर्गत अनुतोष चाहा है। जो वादपत्र किसी भी विधि से वर्जित होना साबित नहीं होता है। हमारा यह भी विनम्र मत है कि वादीगण द्वारा चाहा गया अनुतोष का आधार कानूनन पोषणीय है या नहीं। यह विधि व तथ्य का मिश्रित प्रश्न है तथा इसका निर्धारण प्रकरण में उभयपक्षकारान की साक्ष्य आदि ली जाकर के ही किया जा सकता है। अतः इसे आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के स्तर पर निर्णित किया जाना विधिसंगत व उचित नहीं माना जा सकता। विद्वान अधिवक्ता रेस्पोंडेंट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीरों से संबंधित प्रकरणों की प्रकृति व हस्तगत प्रकरण की प्रकृति भिन्न–भिन्न होने से उक्त न्यायिक नजीरें हस्तगत प्रकरण में हूबहू चस्पा नहीं होती हैं।

6. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र मत है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय पुष्टियोग्य नहीं होने व अपील अपीलांट बखूबी साबित होने से अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय को अपास्त किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार की जाती हैं। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर सुमेरपुर द्वारा राजस्व वाद संख्या 20/2020 बअनवान मंगलसिंह के कायम मुकाम अनंतसिंह वगैरह बनाम सवाराम वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 13.08.2024 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 28.02.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुहर के सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

Scanned with OKEN Scanner